फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नितेश कुमार
निवासी मेघवाल वास, पुनावा
आमलारी तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 07 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव पुनावा में भीलों का वास के आगे नदी के किनारे पहाडी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सूचना अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत में दो बार लिखित में दी, परन्तु सरपंच उन्हीं के जाति (भील) का होने के कारण कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। कृपया अवगत करावें कि उक्त भूमि सरकार द्वारा आंवटित की गई है या सरकार ने गोचर भूमि पर घर बनाने की सहमति दी है। पिछले 4–5 सालों में वहां पर 5–6 घर बना दिए गए है और अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो प्राकृतिक आवास को नुकसान होगा। खसरा संख्या 65 पर अतिक्रमण किसके कहने पर या किस कारण से हो रहा है तथा गांव पुनावा में पिछले पांच सालों में काटे गए पट्टों का विवरण से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.10. 2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव पुनावा में भीलों का वास के आगे नदी के किनारे पहाडी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सूचना अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत में दो बार लिखित में दी, परन्तु सरपंच उन्हीं के जाति (भील) का होने के कारण कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। कृपया अवगत करावें कि उक्त भूमि सरकार द्वारा आंवटित की गई है या सरकार ने गोचर भूमि पर घर बनाने की सहमति दी है। पिछले 4–5 सालों में वहां पर 5–6 घर बना दिए गए है और अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो प्राकृतिक आवास को नुकसान होगा। खसरा संख्या 65 पर अतिक्रमण किसके कहने पर या किस कारण से हो रहा है तथा गांव पुनावा में पिछले पांच सालों में काटे गए पट्टों का विवरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	